प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 17.10.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा सट्टा/जुआ खलते हुए 28 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20,640/- रुपये, सट्टा पर्ची, पैन, कैलकुलेटर आदि सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16/17.10.2025 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर रवि पुत्र सोहन के मकान में अवैध सट्टा/जुआ खेल रहे 28 अभियुक्तों को बंथला नहर के दाहिनी तरफ गली श्रीराम कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 20,640/- रुपये, सट्टा पर्ची, पैन, कैलकुलेटर आदि सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/4 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण उपरोक्त ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से सट्टा/जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सभी सट्टा/जुआ खेल रहे अभियुक्तों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अनिल कुमार पुत्र किशन चन्द निवासी मानकपरा करोल बाग दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।
2. श्रवण पुत्र मुरारी निवासी नवीन कुंज थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।
3. धर्मबीर पुत्र रामबाबू निवासी डी 32 श्रीराम कालोनी थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
4. कुवरपाल भाटी पुत्र शिव नारायण निवासी 1008 राजीव कालोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष।
5. जगवीर सिंह पुत्र हरपाल निवासी पीपल के पेड़ के पास विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।
6. पवन शाहु पुत्र रामप्रसाद शाहू निवासी ग्राम पालेमोहन थाना खजोली जिला मधुबनी बिहार, हाल पता गली नं0 7 फेस 2 कृष्णा विहार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 57 वर्ष।
7. पप्पू पुत्र कृपा राम दुबे निवासी श्रीराम कालोनी बालाजी मन्दिर के पास थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।
8. बाबूराम पुत्र नेम सिंह निवासी शाही गार्डन बन्थला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।
9. महेन्द्र पुत्र राम बाबू निवासी ग्राम निबरी थाना देहली गेट अलीगढ उम्र करीब 21 वर्ष।
10. सत्यवीर पुत्र हरीराम पाल निवासी संगम विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
11. जितेन्द्र पुत्र रामकिशोर निवासी मकान नम्बर 61 जाटव मौहल्ला लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।
12. शिवा पुत्र अरविन्द निवासी वाल्मीकि आश्रम के पास बन्थला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
13. नीरज पुत्र किशन सिंह निवासी अफजलपुर पो0 निस्तोली थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
14. राजन शर्मा पुत्र सुभाष चन्द शर्मा निवासी 19/3 द्वितीय निर्मला कुंज बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।

15.अंकित कुमार पुत्र मांगे राम निवासी न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
16.रिंकू पुत्र नरेश कुमार निवासी शिव मन्दिर के पास बाग रानप थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
17.अजय कुमार पुत्र दलपत सिंह निवासी खसरा संख्या 219 राम विहार बन्थला 2 थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
18.सज्जन पुत्र सूरज निवासी मण्डोली गांव मकान नम्बर 363 गली नम्बर 12 मण्डोली दिल्ली उम्र करीब 48 वर्ष।
19.राजबीर पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम बागराणा सरकारी स्कूल के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।
20.दीपू राय पुत्र फेकू राय निवासी दिनेशपुर थाना रिवा जिला सीतामढी बिहार उम्र करीब 32 वर्ष।
21.बिजेन्द्र रूहेला पुत्र जगदीश निवासी गली नम्बर 8 नार्थ गोण्डा थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 58 वर्ष।
22.राजू पुत्र रामनिवास निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
23.मुन्नी लाल कुमार पुत्र अवधेश साहनी निवासी ग्राम मल्ला टोला थाना सिवोली जिला मोतहारी बिहार उम्र करीब 25 वर्ष।
24.मनोज पुत्र माहिया निवासी ग्राम जवाली थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।
25.विष्णु पुत्र उमेश प्रसाद निवासी राम विहार लोनी सरस्वती मन्दिर के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
26.बलबीर पुत्र स्व0 भागीरथ निवासी डी 3/423 नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 47 वर्ष।
27.अलीफ पुत्र मौहबब्त खान निवासी ए 59/ए89 दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।
28.सन्दीप पुत्र रोहताश निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

20,640/- रुपये, सट्टा पर्ची, पैन, कैलकुलेटर आदि सामग्री बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ATM कार्ड बदलकर ATM से रुपये निकालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 1795/- रुपये, 08 एटीएम/डेबिड/क्रेडिट/रूपे कार्ड व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 13.10.2025 को वादी श्री सुहेलखान द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना दी कि पैरामाउन्ट मार्किट के इन्डसन बैंक के ATM मे जब वादी 2000/- रुपये निकालने के लिए गये तो 02 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी की मदद करने के बहाने धोखे से वादी का ATM कार्ड बदल दिया तथा पिन कोड प्राप्त कर लिया तथा बदले ATM कार्ड से 44000/- रुपये निकाल लिये गये। जिसकी जानकारी बाद मे वादी को बैंक मे जाने के बाद हुई

। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2)/318(4) बी.एन.एस मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा आस पास के सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 16.10.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले (1) मोहम्मद राहिल पुत्र सलीम निवासी जे जे कालोनी बवाना थाना बवाना दिल्ली उम्र 19 वर्ष (2) इमरान पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी जे0जे0 कालोनी बवाना थाना बवाना दिल्ली उम्र 19 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना के सम्बन्धित 1795/- रुपये व अलग अलग बैंको के 08 एटीएम/डेबिड/क्रेडिट/रूपे कार्ड़ व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल TVS व 4 काली फंटी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएसएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तो ने पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि करीब 10 दिन पहले हम दोनो ने मिलकर पैरामाउन्ड मार्किट के एक ATM से एक बुजुर्ग आदमी की मदद करने के बहाने उसका धोखे से ATM कार्ड का पिन जानकर ATM कार्ड को बदल दिया था तथा बाद मे उस ATM कार्ड से 44000/- रुपये दूसरे ATM से निकाल लिये थे। जो मोटर साइकिल हमसे बरामद हुई है, उसी मोटर साइकिल से हम दोनो NCR क्षेत्र मे ATM के आस पास घूम कर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति/अनपढ महिला/बच्चो को देखते है, जो ATM से रुपये निकालने के लिए जाते है, उनके ATM मे जाने से पहले ही हम ATM मशीन के अंदर मशीन मे काली फंटी लगा देते है, जिससे ATM मशीन कार्ड को रीड नही करती है, फिर उनकी मदद करने के बहाने, धोखे से ATM पिन को जानकार ATM कार्ड बदलकर वहां से चले जाते है तथा दूसरे ATM पर जाकर रुपये निकाल लेते है। ATM कार्ड की लिमिट खत्म होने के बाद दिल्ली मॉल मे जाकर ATM कार्ड को स्वेप करके शॉपिंग कर लेते है, प्राप्त रुपयो को आधा आधा बांट लेते है व अपनी मौज मस्ती मे खर्च कर देते है। हमसे से जो 1795 रुपये बरामद हुए है, ये 10 दिन पहले पैरामाउन्ट मार्किट के ATM मे की गयी घटना के ही बचे रुपये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

(1) मोहम्मद राहिल पुत्र सलीम निवासी जे जे कालोनी बवाना थाना बवाना दिल्ली उम्र 19 वर्ष।

(2) इमरान पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी जे0जे0 कालोनी बवाना थाना बवाना दिल्ली उम्र 19 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

उपरोक्त घटना के सम्बन्धित 1795/- रुपये व अलग अलग बैंको के 08 एटीएम/डेबिड/क्रेडिट/रूपे कार्ड़ व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल TVS व 4 काली फंटी.

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.10.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त फरमान उर्फ सोनू द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष के साथ गलत काम करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.10.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फरमान उर्फ सोनू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम ग्यासपुर थाना निवाडी तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद हाल पता विहारी कॉलोनी नीयर होली चौक थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता मेरी रिश्तेदार है। मैं पीडिता के घर पर आया हुआ था। मैंने मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान उर्फ सोनू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम ग्यासपुर थाना निवाडी तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद हाल पता विहारी कॉलोनी नीयर होली चौक थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 17.10.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सचिन कौशिक पुत्र स्व0 सुभाष कौशिक निवासी म0न0-107 गली नं-2 लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास

विक्रम एन्क्लैव थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 32 वर्ष को भोपुरा कट शौचालय के पास डीएलएफ शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटर साइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5), 345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने यह मोटर साइकिल साहिबाबाद से वर्ष 2021 में चोरी कर अपने घर पर खड़ी कर रखी थी। अभियुक्त लगभग 15 दिन से बरामद मोटर साइकिल को नम्बर प्लेट बदलकर चला रहा था। आज अभियुक्त उपरोक्त बरामद मोटर साइकिल को 80 फुटा वाले रास्ते से दिल्ली की तरफ लेकर जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन कौशिक पुत्र स्व0 सुभाष कौशिक निवासी म0न0-107 गली नं-2 लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास विक्रम एन्क्लैव थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा बैटरी चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 09 बैटरी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 16/17.10.2025 की रात्रि को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बैटरी चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. चाँद मोहम्मद पुत्र मुन्ना निवासी- मकान न0 सी 531 गली न0 1 कबीरनगर थाना बैलकम नई दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष व 2. इमरान पुत्र इकबाल निवासी सी 531 गली न0 1 कबीरनगर थाना बैलकम नई दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को पिलर न0 156/157 के पास खाली प्लाट के पास चौकी क्षेत्र सीमा से चोरी की 09 बैटरी सहित गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद चोरी की बैटरी में से 03 बैटरी को दिनांक 13.05.2025 को लाजपत नगर साहिबाबाद से चोरी की थी और बाकी की चोरी की 06 बैटरी लाल कुँआ के आगे से चुराकर लाए हैं। बरामद चोरी की बैटरियों को दोनों अभियुक्त बेचने के लिये दिल्ली में जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. चाँद मोहम्मद पुत्र मुन्ना निवासी- मकान न0 सी 531 गली न0 1 कबीरनगर थाना बैलकम नई दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।
2. इमरान पुत्र इकबाल निवासी सी 531 गली न0 1 कबीरनगर थाना बैलकम नई दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 09 बैटरी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त चाँद मौहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन में चोरी का 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन में चोरी का 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर लूट, चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.03.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री प्रशान्त कुमार सोलंकी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 14.02.2025 को अभियुक्त द्वारा ए0यू0 स्माल फाईनेन्स बैंक लि0 में अपना नाम से 01 करोड़ रुपये का डीडी बनबाना व डीडी की रकम को ए0यू0 स्माल फाईनेन्स बैंक लि0 की मैन ब्रांच दिल्ली से अपने खाते में ट्रांसफर करा लेना व दूसरा फर्जी डीडी बनाकर वादी का ब्रांच शाखा ए0यू0 स्माल फाईनेन्स बैंक लि0 इन्दिरापुरम में जमा करने के सम्बन्ध में धारा 316(2), 318(2), 338, 336(2), 340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 17.10.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त नवीन राणा पुत्र महकार सिंह निवासी अछरौड़ा परतापुर थाना परतापुर मेरठ उम्र करीब 32 वर्ष को पूछताछ के दौरान उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि लगभग 2 वर्ष पहले जाकिर जो हैदराबाद का रहने वाला है, से मुलाकात हुई थी। जाकिर ट्रेड प्रोफिट फंड का काम करता है ने अभियुक्त को उस्मान सिद्दकी के बारे में बताया था, उस्मान सिद्दकी मुम्बई का रहने वाला है। यह भी ट्रेड प्रोफिट फंड

का ही काम करता है। उस्मान का विभोर गुप्ता के साथ काम करने वाले रमेश शर्मा के साथ सम्पर्क था, उस्मान ने अभियुक्त से कहा था कोई हो जिसको ट्रेड प्रोफिट फंड से पैसा कमाना हो बताना इसी क्रम में उस्मान ने अभियुक्त को रमेश शर्मा से मिलने को कहा था । अभियुक्त रमेश शर्मा से मिला था और रमेश शर्मा ने अभियुक्त की विभोर गुप्ता से मुलाकात करायी थी । विभोर गुप्ता ने अभियुक्त को बताया था कि कोई हो तो बताना में ट्रेड प्रोफिट फंड में पैसा लगाने के लिये तैयार हूं। यह बात अभियुक्त ने फिर से उस्मान को बतायी और उस्मान की विभोर गुप्ता से अभियुक्त ने अपने फोन से बात करवाई थी । उस्मान ने विभोर गुप्ता को एक करोड़ की डीडी ऑटो व्हील्स मुम्बई के पक्ष में बनवाने को बताया था। दिनांक 07.02.2025 को उक्त एक करोड़ की डीडी ऑटो व्हील्स मुम्बई के नाम से बनी थी। जिसके लिये अभियुक्त को उसी दिन विभोर गुप्ता ने ज़रिये व्हाट्सअप डीडी का फोटो भेजी थी और डीडी की प्राप्त व्हाट्सअप कॉपी को अभियुक्त ने उस्मान के पास भेज दिया था । उस्मान ने अभियुक्त को बताया था कि इस बार काम हो जायेगा तो उसका कमीशन वह मुझे देगा। लेकिन दिनांक 15.02.2025 को ही उस्मान का फोन स्वीच ऑफ बताने लगा और अभियुक्त की उससे कोई बात आज तक नही हो पाई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नवीन राणा पुत्र महकार सिंह निवासी अछरौड़ा परतापुर थाना परतापुर मेरठ उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।